पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<u>बोर्ड में विविधता संबंधी नीति</u>

1. उद्देश्य

यथा संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड में विविधता संबंधी एक औपचारिक नीति तैयार की है।

2. विजन

कंपनी अपने कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोर्ड में विविधता के महत्व और हितलाभों को पहचानती है।

3. नीति वक्तव्य

कंपनी का मानना है कि बोर्ड के सदस्यों के विभिन्न कौशल, योग्यता, पेशेवर अनुभव, लिंग समानता, ज्ञान आदि का उपयोग करके बोर्ड में विविधता उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

बोर्ड में विविधता लाने की प्रक्रिया में, संगम अनुच्छेद, सूचीकरण करार, कंपनी अधिनियम, डीपीई दिशानिर्देशों आदि के निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा भी कंपनी शासित होती है:

- बोर्ड का गठन करने वाले निदेशकों की कुल संख्या कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार होगी।
- कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होगा जिसमें कम-से-कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यपालक निदेशकों को शामिल करते हुए निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा।
- बोर्ड में कम-से-कम आधे स्वतंत्र निदेशक (जहां बोर्ड के अध्यक्ष कार्यपालक हैं) या कम-से-कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक (जहां बोर्ड के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक हैं) शामिल होने चाहिए।
- कंपनी के बोर्ड में कम-से-कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए।

पीएफसी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद 86 के अनुसार, पीएफसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। पीएसयू(ओं) के बोर्ड में सदस्यों के चयन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित बोर्ड/समिति निर्धारित की गई है:

<u>फंक्शनल निदेशकों के चयन के लिए</u>

लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए व्यवस्थित प्रबंधकीय नीति विकसित करने और विशेष रूप से, उनके शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है। पीईएसबी में एक अंशकालिक या पूर्णकालिक अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सार्वजनिक या निजी कॉर्पोरेशन या

लोक प्रशासन के प्रबंधन में एक दीर्घ एवं विशिष्ट कैरियर रहा है और मुख्यतः कार्मिक, वित्त, उत्पादन या विपणन के क्षेत्र में उपलब्धियों का एक सिद्ध रिकॉर्ड है। पीईएसबी के निम्नलिखित तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं:

i. किसी सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के एक प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व मुख्य कार्यपालक।
ii. शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिकों के चयन का अनुभव-प्राप्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।
iii. पीएसई के प्रबंधन में या वित्त, उद्योग या आर्थिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव-प्राप्त एक प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व सिविल सेवक।

<u>गैर-सरकारी निदेशकों के चयन के लिए</u>

पीएफसी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर-सरकारी निदेशकों का चयन सर्च समिति द्वारा किया जाता है। सर्च समिति की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार है।

i. सचिव (डीओपीटी) - अध्यक्ष
ii. सचिव, डीपीई
iii. विद्युत मंत्रालय के सचिव
iv. 2 गैर-सरकारी सदस्य

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सर्च समिति की सिफारिशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

पीएफसी के उद्देश्यों और जिस क्षेत्र में यह काम करता है, उसे ध्यान में रखते हुए, नीचे उल्लिखित गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक वांछनीय होंगे:

1. वित्त एवं लेखा प्रोफेशनल
2. प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षाविद
3. विद्युत/बैंकिंग क्षेत्र प्रोफेशनल
4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के प्रोफेशनल
5. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी

इसके अतिरिक्त, पीएफसी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा कंपनी के बोर्ड में एक सरकारी नामिती निदेशक की नियुक्ति भी की जाती है।

4. नीति का प्रकटीकरण

यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। नीति के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण भी सूचीकरण करार और कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार किए जाएंगे।

5. नीति की समीक्षा

नामांकन, पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति द्वारा समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाएगी और किसी भी आवश्यक परिवर्तन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश की जाएगी।

****